न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 61 / 2019 राजस्व वाद

1. कालूलाल उर्फ देवकिशन पिता उमा जी जाति कुम्हार आयु 70 वर्ष निवासी–बागोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

–वादी

बनाम

1. नारायणलाल पिता उमा जी जाति कुम्हार आयु वयस्क वर्ष निवासी–बागोल तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
2. नरेश पिता उमा जी जाति कुम्हार आयु वयस्क वर्ष निवासी–बागोल तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
3. रोडी बेवा उमा जी जाति कुम्हार आयु वयस्क वर्ष निवासी–बागोल तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।

–प्रतिवादीगण

वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित : 1. श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता वादी

2. श्री वगत राम डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 3

: : निर्णय : :

दिनांक :–10.06.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से यह वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि राजस्व ग्राम बागोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द मे निम्न विवरण की कृषि भूमिया स्थित है जिसका विवरण इस प्रकार हैः– परिशिष्ठ–क खाता सं. 184 आराजी सं. 1575 रकबा 00–06 बीघा, परिशिष्ठ–ख खाता सं. 159 आराजी सं. 1292 रकबा 00–03 बीघा, परिशिष्ठ–ग खाता सं. 45 आराजी सं. 701 रकबा 00–03 बीघा, परिशिष्ठ–घ खाता सं. 454 आराजी सं. 1585 रकबा 00–04 बीघा एवं परिशिष्ठ–ड खाता सं. 46 कुल आराजी किता 03 कुल रकबा 1–02 बीघा उपरोक्त कृषि भूमिया वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 एवं 3 की संयुक्त सामलाती है जिनका अभी तक विभाजन नही हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 एवं 3 के परिवार का सजरा इस प्रकार है–

उमाजी (फोत)

कालूलाल उर्फ देवकिशन – पुत्र
नारायणलाल – पुत्र
नरेश – पुत्र
रोडी – पत्नी

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

वादी कालूलाल उर्फ देवकिशन पिता उमा जी कुम्हार को दोनो नामो से गांव मे जाना एवं पहचाना जाता है तथा वादी के परिवार के राशकार्ड, आधार कार्ड निर्वाचन पत्र, पहचान पत्र, बैंक पासबूक डायरी मे देवकिशन पिता उमा जी कुम्हार का नाम अंकित है तथा मिनी बैंक की पासबूक मे देवकिशन उर्फ कालू पिता उमाजी कुम्हार अंकित है परन्तु राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम कालूलाल पिता उमा जी कुम्हार अंकित है। वादी को गांव एवं घर के अन्दर दोनो नामो से जाना एवं पहचाना जाता है तथा उक्त दोनो नामो को लेकर भविष्य मे कोई विवाद नही हो तथा सभी दस्तावेज मे अलग–अलग नाम से लेकर कोई विवाद नही हो इसलिये वादी राजस्व रेकर्ड मे भी अपने कालूलाल नाम के आगे देवकिशन अंकित कराना चाहता है तथा वादी कालूलाल उर्फ देवकिशन पिता उमा जी कुम्हार के नाम की घोषणा कराने का अधिकारी है तथा इसी नाम का राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती भी कराना चाहता है। वाद कारण दिनांक 25.02.2019 को उत्पन्न हुआ जब वादी अपने खाते की कृषि भूमियो पर लोन चाहता था तब बैंक से सम्पर्क किया तो पता चला कि राजस्व रेकार्ड एवं अन्य दस्तावेज मे नाम अलग–अलग होने से वादी को बैंक द्वारा लोन देने से मना कर दिया तब इस प्रकार के गलत इन्द्राज की वादी को जानकारी हुई इसलिये वादी इसे दुरूस्त कराने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष मे इस आशय की घोषणा की डिक्री प्रचलित फरमाई जावे कि वाद के पेरा सं.–1 के परिशिष्ठ क, ख, ग, घ, ड मे वर्णित कृषि भूमियो मे राजस्व रेकार्ड मे कालूलाल पिता उमा जी कुम्हार दर्ज है उस जगह कालूलाल उर्फ देवकिशन पिता उमा जी कुम्हार घोषित फरमाये जाने की डिक्री पारित फरमाई जावे एवं तद्नुसार राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 मय अधिवक्ता उपिस्थत। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी मुझ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का सगा भाई एवं प्रतिवादी सं. 3 का पुत्र है। राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम कालूलाल उर्फ देवकिशन अंकित किया जावे तो हम प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की उजर, आपत्ति नही है तथा वादी के गांव मे दोनो नाम से जाना एवं पहचाना जाता है। वादी का राजस्व रेकर्ड मे कालूलाल नाम अंकित है तथा अन्य दस्तावेज मे देवकिशन नाम अंकित है तथा दोनो नाम को लेकर भविष्य मे भी कभी कोई विवाद नही है। इसलिये वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में भी कालूलाल उर्फ देवकिशन नाम अंकित किया जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम बागोल तहसील नाथद्वारा के नकल जमाबंदी संवत् 2072–75 के अवलोकन से खाता संख्या 184 में वर्णित कुल आराजी किता 01 कुल रकबा 00–06 बीघा, खाता संख्या 159 में वर्णित कुल आराजी किता 01 कुल रकबा 00–03 बीघा, खाता संख्या 45 में वर्णित कुल आराजी किता 01 कुल रकबा 00–03 बीघा, खाता संख्या 454 में वर्णित कुल आराजी किता 01 कुल रकबा 00–04 बीघा, खाता संख्या 46 में वर्णित कुल आराजी किता 03 कुल रकबा 01–02 बीघा कृषि भूमियां कालूलाल के नाम अन्य सहखातेदारों के साथ राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा ग्राम पंचायत बागोल के सरपंच द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड, मिनी बैंक पास–बुक, राशन कार्ड,

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

एसबीबीजे बैंक पासबुक पेनकार्ड गैस सिलेण्डर पासबुक की छांया प्रति के अवलोकन से वादी का नाम कालूलाल उर्फ देवकिशन होना प्रतीत होता है।

प्रतिवादी संख्या 3 रोडी बेवा उमा जी जाति कुम्हार जो कि वादी की माता है एवं प्रतिवादी सं. 1 नारायणलाल पिता उमा जी एवं प्रतिवाद सं. 2 नरेश पिता उमा जी जो कि वादी के भाई है के द्वारा वादी का नाम कालूलाल पिता उमा जी के बजाय कालूलाल उर्फ देवकिशन किये जाने हेतु सहमति पेश की गई है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादी का नाम कालूलाल उर्फ देवकिशन किये जाने हेतु सहमत है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की राजीनामा/सहमति एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमियों के खातेदार कालूलाल के बजाय कालूलाल उर्फ देवकिशन पिता उमा जी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है –

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बागोल तहसील नाथद्वारा के नकल जमाबंदी संवत् 2072–75 के अवलोकन से खाता संख्या 184 में वर्णित कुल आराजी किता 01 कुल रकबा 00–06 बीघा, खाता संख्या 159 में वर्णित कुल आराजी किता 01 कुल रकबा 00–03 बीघा, खाता संख्या 45 में वर्णित कुल आराजी किता 01 कुल रकबा 00–03 बीघा, खाता संख्या 454 में वर्णित कुल आराजी किता 01 कुल रकबा 00–04 बीघा, खाता संख्या 46 में वर्णित कुल आराजी किता 03 कुल रकबा 01–02 बीघा,कृषि भूमियों के सह खातेदार **"कालूलाल"** के बजाय **"कालूलाल उर्फ देवकिशन"** को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। डिक्रि पर्चा जारी होकर पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक **10.06.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकरी)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द